

सत्यनारायण बनाम हनुमान

न्यायालय :- A.C.W.R-22

संख्या:- 54/2016

दावा

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
21/3/20	<p>पत्रावली पेश की गई। पत्रावली में पत्रावली पेश की गई। पी.ओ. साहू के द्वारा पत्रावली पेश की गई। गत आदेशानुसार दिनांक 10/11/20 को पेश की गई।</p>	
10/11/20	<p>वकीलवादी उपज प्रतिवादीगण उपजवादी पत्रावली गत आदेशानुसार कि 10/11/20 को पेश की।</p> <p>सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) पुणे</p>	
10/11/21	<p>वकीलवादी उपज प्रतिवादीगण उपजवादी पत्रावली पुणे आदेशानुसार कि 7/11/21 को पेश की।</p> <p>सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) पुणे</p>	
22/11/21	<p>आज यह पत्रावली वादी द्वारा प्रस्तुत प्र. पत्रा 023 R1, जा. दी. के अंतर्गत वाद विद्वा के जाने स्वीकृत होने पर तारीख पेशी से पूर्व तलब की गई। वकीलवादी उपज वादी स्वयं उपज पुणे वादी अब इस वाद को आगे न चलकर वाद विद्वा करवाना चाहते हैं, वकीलवादी की एक पक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली को अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पत्रावली व मनन बहस व्यापक में वादी द्वारा प्रस्तुत प्र. पत्रा 023 नियम 1, जा. दी. के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। पत्रावली के संख्या 23 नियम 1, जा. दी. के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। पत्रावली के संख्या 23 नियम 1, जा. दी. के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है।</p> <p>सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) पुणे</p>	

सत्यनारायण शंभुलाल भास्कर